26/6/24 पत्रावली पेश हुई।

वकील वादी श्री ओम प्रकाश दवे उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित।

वकील वादी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि ग्राम मोरी गाँव के खसरा नं. 19 की नवीन जमाबंदी पेश कर दलील की कि वादी द्वारा वादग्रस्त खसरा नं. 19 की

P.T.O.

Not Dress
Dave

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	भूमि का बेचान जरिये रजि. विक्रय विलेख कर दिया है अतः वाद हेतु (अनुतोष) नही रहने से वाद Not Press मे खारिज किए जाने की दलील दी। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों को सुना गया। दोनों अधिवक्ता सहमत होने तथा प्रतिवादीगणों द्वारा काउण्टर क्लेम जवाब-दावा नही करने की स्थिति में ग्राम मोरी गॉव स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 19 रकबा 5.9500 है, के सहखातेदार वादीगण नही रहने के कारण वाद बाबत् बँटवाड़ा व सार्वकालिक निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner